राज्य सेक्टर / ई-मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक पी-1358 / 36-बी-8(वन महोत्सव) / 2017-18 दिनांक:लखनऊ:मई:19 2017

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा, उत्तर प्रदेश।

4- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव (पश्चिचमी) कानपुर, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में "वन महोत्सव का आयोजन" योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 8.33 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:-शासनादेश संख्या-743/चौदह-4-2017-12(बजट)/ 2017, दिनांक 17-05-2017(छायाप्रति संलग्न).

महोदय,

प्रदेश में वन महोत्सव एवं प्रचार-प्रसार हेतु आयोजनागत योजना-"वन महोत्सव का आयोजन" नामक पंचवर्षीय परियोजना (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक) के लिए पांच वर्षो हेतु कुल लागत रू0 520.00 लाख की पंचवर्षीय परियोजना शासन को इस कार्यालय पत्रांक पी-909 / 36-बी-8 (वन महोत्सव) / 2013-14, दिनांक 18-2-2013 से अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 20.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 20.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 20.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 20.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु योजनान्तर्गत रू0 125.00 लाख की धनराशि मात्राकृत है।

2 विषयगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "वन महोत्सव का आयोजन" योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 8.33 लाख के विरूद्ध शासनादेश संख्या-743 / चौदह-4-2017-12(बजट) / 2017, दिनांक 17-05-2017 द्वारा रू0 8.33 लाख (रू0 आठ लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निम्नलिखित बजट लेखा शीर्षकवार प्रदान कर दी गयी है:-

बजट लेखा शीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रु0 में)
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा-	
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी-	
102-समाज तथा फार्म वानिकी-	
07-वन महोत्सव का आयोजन (सी0सी0एल0प्रणाली)	
42-अन्य व्यय	833000
योग	833000

(रू0 आठ लाख तैतीस हजार मात्र)

D:DATAAA ASHA RAM II-H VAN MAHOTSAV BUDGET

3 अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 में "वन महोत्सव का आयोजन" योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 8.33 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 8.33 लाख के विरूद्ध पूँजी लेखा के अन्तर्गत आवंटन आपको / आपके अधीनस्थ वन प्रभागों को संलग्नक-1 के अनुसार संदर्भित शासनादेश में इंगित निर्देश / प्रतिबन्धों तथा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:-

1- योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक- 2 के अनुसार निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में किया जाय।

2- विषयगत संदर्भित शासकीय पत्र में दिये शासन द्वारा दिये गये निर्देशों / प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति /सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0 -1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एंव इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व वन महोत्सव के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए तदनुसार व्यय किया जायेगा।

5- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संबंध्व हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

6- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

7- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

9- योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10- योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता / गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय / भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

11- उक्त बजट का आवंटन शासन द्वारा प्राविधानित मानकमदों एवं अनुमोदित परियोजना के अनुसार किया जा रहा है। यदि अनुमोदित परियोजना प्राविधानित आय-व्ययक के अनुमन्य मानकमदवार से भिन्न हो, तो परियोजना के अनुसार सुगंगत मानकमदों में पुनर्विनियोग कराया जाना अपरिहार्य होगा। संबंधित वन संरक्षक, तथा वन संरक्षक द्वारा उक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- योजनान्तर्गत वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

13- योजनान्तर्गत प्रोप्राइटरी एवं बाट आउट आइटम का क्रय/क्रियान्वयन आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/कार्यदायी संस्था का होगा।

14- योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की माहवार एक समय सारिणी बना ली जाय तथा कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु इसका प्रभावी अनुश्रवण जोनल मुख्य वन संरक्षकों /वन संरक्षकों द्वारा किया जाय एवं प्रगति रिपोर्ट प्रति माह 3 तारीख तक इस कार्यालय को आयोजनागत योजनाओं की प्रगति सूचना के साथ पृथक से उपलब्ध कराई जाय, जिससे कि इसे 5 तारीख तक शासन को भेजा जा सके।

15- परियोजना में निर्धारित विभिन्न कार्य, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायें।

16- संलग्नक-2 में दर्शाये गये भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण शासन द्वारा अनुमोदित परियोजना के आधार पर किया गया है।

17- योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमो तथा इस संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18- स्वीकृत धनराशियों को आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरित कर व्यय किया जाय तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंकों आदि में नहीं रखा जाएगा। कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्काल सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रगति-सूचना तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

20- आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्य हो तो उक्त स्वीकृति अनिवार्यत: प्राप्त की जाये तथा स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाय।

21- अतिरिक्त अनुमति/अनुदान की प्रत्याशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक/अनाधिकृत व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

22- व्यय की गई धनराशि के महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वज़रा समाधानित आंकड़े यथासमय अवश्य उपलब्ध करये जायें।

23- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय निमयों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायगा।

24- योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय लक्ष्य कदापि बढ़ाये न जाय।

25- कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-1358 (1)/36-बी-8(वन महोत्सव) / 2017-18, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में आवंटन की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया आवंटित धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा सम्बन्धित वनाधिकारियों को जारी करने तथा कोषागार के मदों का बजट आवंटन की सूचना सम्बन्धित कोषागारों को देने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-1358 (2)/36-बी-8(वन महोत्सव) / 2017-18, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में आवंटन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2,आडिट भवन टी0सी0 35, वी 1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, सोहागीबरव, सोहेलवा तथा काशी वन्य जीव वन प्रभाग, उ0प्र0।
6- अभिसूचना शाखा, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के विरूद्ध कार्यमदवार/जनपदवार/प्रभागवार/कार्यालयवार भौतिक/वित्तीय मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में योजना अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।
7- योजना अनुभाग की गार्ड बुक हेतु।
8- योजना अनुभाग की संबंधित बजट पत्रावली हेतु।

संलग्नक-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1358 (3)/36-बी-8(वन महोत्सव) / 2017-18, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-743/चौदह-4-2017-12(बजट)/ 2017, दिनांक 17-05-2017 के क्रम में आवंटन की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1358 (4)/36-बी-8(वन महोत्सव) / 2017-18, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को मय संलग्नक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक–1

राज्य योजना

योजना–वन महोत्सव का आयोजन

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2017 से अगस्त,2017 तक प्रथम पांच माह के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन–

(रू0 हजार में)

क्र0सं0	वृत्त/प्रभाग/कार्यालय का नाम	अनुदान संख्या–60–पूंजीलेखा–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत–01– वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी–07–वन महोत्सव का आयोजन (सी0सी0एल0 प्रणाली)– 42–अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
1	वन संरक्षक आगरा वृत्त	16	16
2	आगरा	8	8
3	मैनपुरी	8	8
4	मथुरा	8	8
5	फिरोजाबाद		
	योग आगरा वृत्त	40	40
6	वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त	16	16
7	अलीगढ़	8	8
8	हाथरस	8	8
9	एटा	8	8
10	कासगंज		
	योग अलीगढ़ वृत्त	40	40
11	वन संरक्षक बरेली वृत्त	16	16
12	बरेली	8	8
13	बदायूं	8	8
14	पीलीभीत सा0वा0प्रभाग	0	0
15	पीलीभीत वन प्रभाग	8	8
16	शाहजहांपुर		
	योग बरेली वृत्त	40	40
17	वन संरक्षक झांसी वृत्त	16	16
18	झांसी	8	8
19	ललितपुर	8	8
20	जालौन(उरई)		
	योग झांसी वृत्त	32	32
21	वन संरक्षक चित्रकूट धाम वृत्त	16	16
22	बांदा	8	8
23	हमीरपुर	8	8
24	महोबा	8	8
25	चित्रकूट		
	योग चित्रकूट वृत्त	40	40
26	मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल	16	16
27	कानपुर	8	8
28	कानपुर देहात	8	8
29	फर्रुखाबाद	8	8
30	कन्नौज(फर्रुखाबाद)	8	8
31	इटावा	8	8
32	औरैया		
	योग कानपुर मण्डल	56	56
33	मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल	65	65
34	लखनऊ		

(रू0 हजार में)

क0सं0	वृत्त/प्रभाग/कार्यालय का नाम	अनुदान संख्या-60-पूंजीलेखा-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01- वानिकी-102-समाज तथा फार्म वानिकी-07-वन महोत्सव का आयोजन (सी0सी0एल0 प्रणाली)- 42-अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
35	रायबरेली	8	8
36	हरदोई	8	8
37	उन्नाव	8	8
38	सीतापुर	8	8
39	उ0खीरी	8	8
40	द0खीरी	8	8
	योग लखनऊ मण्डल	**113**	**113**
41	वन संरक्षक सरयू वृत्त फैजाबाद	16	16
42	फैजाबाद	8	8
43	अम्बेडकरनगर	8	8
44	सुल्तानपुर	8	8
45	अमेठी	8	8
46	बाराबंकी	8	8
	योग सरयू वृत्त फैजाबाद	**48**	**48**
47	वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त	16	16
48	गोन्डा	8	8
49	श्रावस्ती	8	8
50	बहराइच	8	8
	योग देवीपाटन वृत्त	**32**	**32**
51	वन संरक्षक मेरठ वृत्त	16	16
52	मेरठ	8	8
53	बागपत(मेरठ)	8	8
54	गाजियाबाद	8	8
55	हापुड़	8	8
56	गौतमबुद्धनगर	8	8
57	बुलन्दशहर	8	8
	योग मेरठ वृत्त	**56**	**56**
58	वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त	16	16
59	सहारनपुर	8	8
60	शिवालिक	8	8
61	मुजफ्फरनगर	8	8
62	शामली	8	8
	योग सहारनपुर वृत्त	**40**	**40**
63	वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त	16	16
64	मुरादाबाद	8	8
65	सम्भल	8	8
66	अमरोहा	8	8
67	रामपुर	8	8
68	बिजनौर	8	8
69	नजीबाबाद	8	8
	योग मुरादाबाद वृत्त	**56**	**56**
70	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त	16	16
71	वाराणसी	8	8
72	गाजीपुर	8	8
73	जौनपुर	8	8
	योग वाराणसी वृत्त	**32**	**32**

(रू0 हजार में)

क0सं0	वृत्त / प्रभाग / कार्यालय का नाम	अनुदान संख्या–60–पूंजीलेखा–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत–01– वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी–07–वन महोत्सव का आयोजन (सी0सी0एल0 प्रणाली)–	
		42–अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
74	मु0व0सं0 मिर्जापुर मण्डल		
75	संतरविदास नगर भदोही	8	8
76	मिर्जापुर	16	16
77	सोनभद्र	8	8
78	रेनुकूट	8	8
79	ओबरा	8	8
	योग मिर्जापुर मण्डल	**48**	**48**
80	वन संरक्षक इलाहाबाद वृत्त		
81	इलाहाबाद	16	16
82	कौशाम्बी	8	8
83	फतेहपुर	8	8
84	प्रतापगढ.	8	8
	योग इलाहाबाद वृत्त	**40**	**40**
85	मु0व0सं0 गोरखपुर मण्डल		
86	गोरखपुर	16	16
87	देवरिया	8	8
88	पडरौना(कुशीनगर)	8	8
	योग गोरखपुर मंडल	**32**	**32**
89	वन संरक्षक, बस्ती वृत्त		
90	बस्ती	16	16
91	संतकबीरनगर	8	8
92	सिद्धार्थनगर	8	8
	योग बस्ती वृत्त	**32**	**32**
93	वन संरक्षक आजमगढ. वृत्त		
94	आजमगढ.	16	16
95	मऊ	8	8
96	बलिया	8	8
	योग आजमगढ. वृत्त	**32**	**32**
97	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पूर्वी, गोण्डा		
98	सोहागीबरवा वन्यजीवप्रभाग	8	8
99	सोहेलवा व0 जी0 प्रभाग	8	8
	योग मु0व0सं0वन्यजीव पूर्वी गोण्डा	**16**	**16**
100	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी कानपुर		
101	काशी वन्यजीव प्रभाग	8	8
	योग मु0व0सं0वन्यजीव पश्चिमी कानपुर	**8**	**8**
	कुल योग	**833**	**833**

(ए0के0द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

18/5/17

संलग्नक-2

योजना-"वन महोत्सव का आयोजन" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2017 से अगस्त,2017 तक प्रथम पांच माह के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध कराये जाने वाले कार्यों का प्रभागवार/वृत्तवार एवं कार्यमदवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनन्तिम निर्धारण-

(क) प्रत्येक जनपद में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन

(रू0 हजार में)

क्र0 सं0	वृत्त/प्रभाग/कार्यालय का नाम	प्रत्येक जनपद में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन	
		भौतिक(सं0)	वित्तीय
1	2	3	4
1	वन संरक्षक आगरा वृत्त	1	16
2	आगरा	1	8
3	मैनपुरी	1	8
4	मथुरा	1	8
5	फिरोजाबाद	1	8
	योग आगरा वृत्त	4	40
6	वन संरक्षक अलीगढ. वृत्त	1	16
7	अलीगढ.	1	8
8	हाथरस	1	8
9	एटा	1	8
10	कासगंज	4	40
	योग अलीगढ. वृत्त		
11	वन संरक्षक बरेली वृत्त	1	16
12	बरेली	1	8
13	बदायूं	1	8
14	पीलीभीत सा0वा0प्रभाग	0	0
15	पीलीभीत वन प्रभाग	1	8
16	शाहजहांपुर	4	40
	योग बरेली वृत्त		
17	वन संरक्षक झांसी वृत्त	1	16
18	झांसी	1	8
19	ललितपुर	1	8
20	जालौन(उरई)	3	32
	योग झांसी वृत्त		
21	वन संरक्षक चित्रकूट धाम वृत्त	1	16
22	बांदा	1	8
23	हमीरपुर	1	8
24	महोबा	1	8
25	चित्रकूट		40
	योग चित्रकूट वृत्त	4	
26	मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल	1	16
27	कानपुर	1	8
28	कानपुर देहात	1	8
29	फर्रुखाबाद	1	8
30	कन्नौज(फर्रुखाबाद)	1	8
31	इटावा	1	8
32	औरैया		56
	योग कानपुर मण्डल	6	
33	मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल		

(रू0 हजार में)

क0 सं0	वृत्त / प्रभाग / कार्यालय का नाम	प्रत्येक जनपद में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन	
		भौतिक(सं0)	वित्तीय
1	2	3	4
34	लखनऊ	1	65
35	रायबरेली	1	8
36	हरदोई	1	8
37	उन्नाव	1	8
38	सीतापुर	1	8
39	उ0खीरी	1	8
40	द0खीरी	1(पार्ट में)	8
	योग लखनऊ मण्डल	6	113
41	वन संरक्षक सरयू वृत्त फैजाबाद		
42	फैजाबाद	1	16
43	अम्बेडकरनगर	1	8
44	सुल्तानपुर	1	8
45	अमेठी	1	8
46	बाराबंकी	1	8
	योग सरयू वृत्त फैजाबाद	5	48
47	वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त		
48	गोन्डा	1	16
49	श्रावस्ती	1	8
50	बहराइच	1	8
	योग देवीपाटन वृत्त	3	32
51	वन संरक्षक मेरठ वृत्त		
52	मेरठ	1	16
53	बागपत(मेरठ)	1	8
54	गाजियाबाद	1	8
55	हापुड	1	8
56	गौतमबुद्धनगर	1	8
57	बुलन्दशहर	1	8
	योग मेरठ वृत्त	6	56
58	वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त		
59	सहारनपुर	1	16
60	शिवालिक	1(पार्ट में)	8
61	मुजफ्फरनगर	1	8
62	शामली	1	8
	योग सहारनपुर वृत्त	3	40
63	वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त		
64	मुरादाबाद	1	16
65	सम्भल	1	8
66	अमरोहा	1	8
67	रामपुर	1	8
68	बिजनौर	1	8
69	नजीबाबाद	1(पार्ट में)	8
	योग मुरादाबाद वृत्त	5	56
70	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त		
71	वाराणसी	1	16
72	गाजीपुर	1	8
73	जौनपुर	1	8

(रू0 हजार में)

क0 सं0	वृत्त/प्रभाग/कार्यालय का नाम	प्रत्येक जनपद में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन	
		भौतिक(सं0)	वित्तीय
1	2	3	4
	योग वाराणसी वृत्त	3	32
74	मु0व0सं0 मिर्जापुर मण्डल		
75	संतरविदास नगर भदोही	1	8
76	मिर्जापुर	1	16
77	सोनभद्र	1	8
78	रेनुकूट	1(पार्ट में)	8
79	ओबरा	1(पार्ट में)	8
	योग मिर्जापुर मण्डल	3	48
80	वन संरक्षक इलाहाबाद वृत्त		
81	इलाहाबाद	1	16
82	कौशाम्बी	1	8
83	फतेहपुर	1	8
84	प्रतापगढ.	1	8
	योग इलाहाबाद वृत्त	4	40
85	मु0व0सं0 गोरखपुर मण्डल		
86	गोरखपुर	1	16
87	देवरिया	1	8
88	पडरौना(कुशीनगर)	1	8
	योग गोरखपुर मंडल	3	32
89	वन संरक्षक, बस्ती वृत्त		
90	बस्ती	1	16
91	संतकबीरनगर	1	8
92	सिद्धार्थनगर	1	8
	योग बस्ती वृत्त	3	32
93	वन संरक्षक आजमगढ. वृत्त		
94	आजमगढ.	1	16
95	मऊ	1	8
96	बलिया	1	8
	योग आजमगढ. वृत्त	3	32
97	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पूर्वी, गोण्डा		
98	सोहागीबरवा वन्यजीवप्रभाग	1	8
99	सोहेलवा व0 जी0 प्रभाग	1	8
	योग मु0व0सं0वन्यजीव पूर्वी गोण्डा	2	16
100	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी कानपुर		
101	काशी वन्यजीव प्रभाग	1	8
	योग मु0व0सं0वन्यजीव पश्चिमी कानपुर	1	8
	कुल योग	75	833

(ए0के0द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
18/8/017

संख्या-743/चौदह-4-2017-12(बजट)/2017

(12)

प्रेषक,

हलधर प्रसाद मिश्रा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक 17 मई, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में "वन महोत्सव का आयोजन" योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 8.33 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1253/36-बी-8(वन महोत्सव)/2017-18 दिनांक 27.04.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60- के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 "वन बन्दोबस्त योजना" योजनान्तर्गत प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 8.33 लाख (रू0 आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

बजट लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि(रू0 में)**
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव-पर पूँजीगत परिव्यय	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
07-वन महोत्सव का आयोजन (सी.सी.एल. प्रणाली)	
42-अन्य व्यय	833000
योग-	**833000**

(रू0 आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग

द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व वन महोत्सव के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए तदनुसार व्यय किया जायेगा।

3- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

6- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1253/36-बी-8(वन महोत्सव)/2017-18 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाएगा।

9- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

(15)

11- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या 2017/231-2017-दस/348-1-बी/2017/3-दिनांक मार्च 20, के क्रम में 2017 निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या-743(1)/चौदह-4-2017-12(बजट)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।